

आयोग को चाहिए मुखिया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा है। जस्टिस एचएल दत्त दो दिसम्बर को सेवानिवृत्त हो गए। वह तकरीबन पांच साल तक आयोग के मुखिया रहे। उनके अवकाश ग्रहण करने से पहले ही आयोग की सदारत के बारे में कयास लगाए जाने लगे थे। कयास इस कारण भी लगाए जा रहे हैं कि अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के नियमों में पिछले साल भारी बदलाव हुआ। अब रिटायर्ड सीजेआई को ही आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज आयोग का हेड हो सकता है। उसका कार्यकाल भी पांच साल से घटाकर तीन साल कर दिया गया है। हालांकि तीन साल का कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान भी रखा गया है।

■ नारदजी